न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 09/2004

आरसीएमएव नं. :— 2004/00052

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बीर सिंह पुत्र श्री चन्द —फौत

1/1 मैना देवी पत्नी
1/2 गीता देवी पुत्री
1/3 मीरा पुत्री
1/4 राकेश कुमार पुत्र
1/5 शकुन्तला पुत्री

} वीर सिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2. शिशपाल श्री चन्द जाति जाट, निवासी डोभी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

3. रफूल —फौत

3/1 सिलोचना पत्नी
3/2 सुमन पुत्री
3/3 सुमित्रा पुत्री
3/4 मितु पुत्री
3/5 सुनिता पुत्री
3/6 समेसता पुत्री
3/7 सुशील पुत्र
3/8 सुशीला पुत्री

} जाति जाट निवासी डोभी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ

— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएक्ट

विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 10.01.2002,

आवंटन आदेश क्रमांक 92/1 ता 3 बहक वीरसिह आदि

उपस्थितिः–

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

श्री महेश शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 30.9.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपील को अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीनआदेशके द्वारा रोही मौजा डोभी के खसरा नं0 93 की किला नं. 21 ता 23 खसरा नं. 24 की किला नं. 22 कृल 7 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट को आवंटित की है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत राजस्व रिकार्ड में भूमि गैर मु0 पायतन एवं सिवाय चक नाकाबिल काश्त है जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता है। प्रश्गनत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का संवत 2012 से कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में जिरह का मौका नहीं दिया गया ना ही वाद मे कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत नोटिस दिये पेश किया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलांट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अपील भी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अपील में विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में ग्रम डोभी बारानी की संवत 2059 की जमाबंदी पेश की है। इस जमा बंदी में प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन के समय प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन की भूमि थी जिसके किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी ये प्रतिबंधित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.01.2002 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार भादरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त कर इस न्यायालय को 7 दिवस में सूचित करें। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़